नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण, उत्तरांचल

मैनुअल सँख्या - ०७

सम्पर्क : महानिदेशक, चिकित्सा,
स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग,
उत्तरांचल
ई-मेल : dghealth.uttarakhand@gmail.com

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

लोक प्राधिकरण में नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था निम्न प्रकार है :–

विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? हाँ/नहीं	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति का निर्धारण तथा क्रियान्वयन। जनसंख्या नीति निर्धारण एक वृहत कार्य है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति का निर्धारण शासन स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग केवल स्वास्थ्य एवं जनसंख्या से सम्बन्धित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु कार्य करती है। इसके उद्देश्यों क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट निर्देश तथा कार्य के प्रति रूचि की नितान्त आवश्कता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जनसाधारण के स्वास्थ्य स्तर में सुधार विशेषकर शिशुओं व महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार एक छोटे व नियोजित परिवार के लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है। यह नीति स्वास्थ्य सुविधाएं महिलाओं, शिशुओं, वृद्ध तथा समाज के सभी वर्गों को एक समेकित प्रयास के द्वारा प्रदान करने पर विशेष बल देती है तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं नवीनम विधियों से कार्यक्रम क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया है तथा प्रभावी सेवा हेतु	हाँ	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रमुख तथा क्षेत्रिया पंचायत अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला पंचायात अधिकारी के प्रतिनिधि को समय – समय पर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति क्रियान्वयन हेतु आमन्त्रित किया जाता है। जनसंख्या तथा स्वास्थ्य नीति की क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा जनता की भागीदारी हेतु समय–समय पर बैठकों का आयोजन किया जाता है। जनसंख्या

स्वास्थ्य संरचना, कर्मियों की प्रतिबद्धता, प्रेरणा एवं कार्यकुशलता प्रभावी सेवा प्रदान करने की प्रणाली में सुधार निजी क्षेत्र की सहभागिता तथा दूसरे विभागों के साथ सामंजस्य आदि मुद्दों को स्वास्थ्य नीति में सम्मिलित किया गया है। महिला बच्चों एवं लाभ से वंचित समूहों को विशेष लाभ पहुँचाने का भी प्रावधान रखा गया है।

उत्तरांचल की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन से राज्य के निवासियों का स्वास्थ्य स्तर बेहतर हो रहा है जिसके फलस्वरूप उत्तरांचल में त्वरित, आर्थिक प्रगति और जीनव धारण करने योग्य विकास होगा।

उत्तरांचल की जनसंख्या वर्ष 2001 के जनगणनानुसार 85 लाख तथा जनसंख्या धनत्व 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1999–2001 के मध्य राज्य की दशकीय जनसंख्य वृद्धि दर 19.2 प्रतिशत रही जिसमें पर्याप्त अन्तर जनपदीय विभिन्नताएं थी। उत्तरांचल मुख्य रूप से ग्रामीण है और इसका लगभग 74 प्रतिशत आबादी 16,414 ग्रामीण बस्तियों में रहती है। कुल गांवों में से 80 प्रतिशत से अधिक छोटे–छोटे गांव है जिनकी जनसंख्या 500 सेभी कम है। अन्य 10 प्रतिशत गांवों की आबादी 500 से 999 के मध्य है। केवल 6 प्रतिशत गांव ऐसे है जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है। छोटे–छोट विखरे हुए एवं सम्पर्क मार्ग विहीन गांवों के

स्थिरीकरण तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवा हेतु सामुदाय के मांगों के आधार पर सेवा देना सुनिश्चित किया गया है जिसमें आम जनता की राय हेतु समय – समय पर विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया जाता है तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में जनता की राय हेतु सुझाव पेटिका रखा गया है। जिसमें जनता समस्त स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित सुझाव / शिकातों से विभाग को अवगत करवा सकता है।

कारण वहां स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 964 महिलाएं है। जनपदों में यह लिंग अनुपात न्यूनतम 868 तथा अधितम 1,147 महिलाएं प्रति एक हजार पुरूष के अनुपात में है। वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार पाँच जनपदों की उपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक थी तथा वर्ष 2001 में जनपदों की यह संख्या बढ़कर आठ हो गयी। मैदानी जनपदों की तुलना में पहाड़ी जनपदों में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। जबकि राज्य का समग्र लिंग अनुपात 964 हैं, वहीं बाल जनसंख्या (0–6 वर्ष) के सन्दर्भ में यह अनुपात 906 है। इस राज्य की कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति तथ तीन प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति है।		
चिकित्सालय प्रबन्धन समिति	हाँ	उक्त समिति के संचालक मण्डल में निम्न जन प्रतिनिधि सम्मिलित हैं– 1. स्थानीय नगर निगम/नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष 2. स्थानीय विधायक (जिस निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सालय स्थित है अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि) 3. सदस्य लोक सभा (जिसके निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सालय स्थित हो अथवा

		उनके द्वारा उनकी इच्छानुसार किसी एक जनपद में स्वयँ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि
जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति	हाँ	विभागीय जिला योजना के प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं जिसमें जनपद स्तर पर जन प्रतिनिधि सम्मिलित हैं तथा इस समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही विभागीय प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
उत्तरांचल नर्सिंग काउंसिल	हाँ	इस परिषद् में मनोनीत सदस्यों के रुप में जन प्रतिनिधियों को नामित कर रखा गया है व समय–समय पर आयोजित बैठकों में नामित सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाता है।
उत्तरांचल आर्युविज्ञान परिषद्	हाँ	निजी क्षेत्र में चिकित्सकों को सम्मिलित करते हुए निर्वाचन के द्वारा आर्युविज्ञान का गठन किया जाना प्रविधानित है।